

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2015/00093

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

कृष्णकुमार पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार निवासी 3 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला
.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री जयवीरसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:—

दिनांक :- 07.02.2023

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी के नाम चक 3 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/12 के किला नं0 7 ता 10, 13 ता 15 की 6.02 बीघा भूमि में अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी ने वादगत भूमि पर चना व सरसों की फसल काशत कर रखी है। उसने कोई जिप्सम नहीं निकाला है। अगर अप्रार्थी जिप्सम अवैध खनन करता तो उसके विरुद्ध पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज होती जो कि आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कुछ हिस्सा उपजाऊ बनाने के लिए समतलीकरण किया था जिसकी गलत रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई इसलिए वादगत खारिज योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी के स्वयं का शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह का शपथपत्र तथा वादगत भूमि खड़ी फसल की छायाचित्र व गिरदावरियां प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/2020/126 दिनांक 03.03.2020 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/12 के किला नं0 7 ता 10, 13 ता 15 कुल तादादी 6.02 बीघा कमाण्ड कृष्णकुमार पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार निवासी 3 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा दन्तौर दर्ज हैं। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 100/12 के किला नं0 7 खाली, 8 ता 10 में सरसों, 13 खाली, 14 में सरसों व 15 खाली है।

वादपत्र जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार है:-

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काशत है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.... जिम्मे प्रतिवादी

बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र पेश किया है जबकि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे भूमि की किस्म को नुकसान पहुँचे और आज भी प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कब्जा काशत है जिसकी छायाचित्र भी प्रस्तुत किये है जिसमें सरसों की फसल खड़ी है। वादी द्वारा बिना सही जांच किये सिर्फ पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर दावा पेश किया गया जबकि वादी द्वारा कहीं नहीं बताया गया है कि अवैध खनन कब व किसके द्वारा किया गया है और यदि अवैध खनन होता तो प्रतिवादी पर कोई मुकदमा दर्ज होता एवं कोई साधन जैसे ट्रैक्टर, जेसीबी व जिप्सम जब्त होते और खनन विभाग भी कार्यवाही करता किन्तु ऐसी कोई कार्यवाही मुझ प्रतिवादी पर नहीं हुई है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वादगत भूमि पर कभी अवैध खनन नहीं हुआ है। इसलिए वादी का वादपत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध कराये। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्य पक्ष की अनमने ढंग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। राज्य पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद विचारण अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं प्रतिवादी से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई मशीनरी ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि कभी कोई जब्त हुई अथवा नहीं। कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से प्रतिवादी ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों के पक्ष में मजबूत साक्ष्य/सबूत, स्वतंत्र गवाह वगैरह पेश नहीं किये गए हैं और नाही वादपत्र को साबित करने के पक्ष में ऐसा तथ्य/दस्तावेज पेश किया जिससे वादपत्र साबित होता हो। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि उक्त भूमि का कृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है व कब्जा काश्त है तथा भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया गया है एवं इस बात की तस्दीक तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादगत भूमि के छायाचित्र से भी हो रही है। वादी वादपत्र को साबित करने में असफल रहने व वाद-हेतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना-अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल-दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)